आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 46 तथा 47/इंदौर/2021

श्री साई एकेडमी, भोपाल	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएटीटीएस 6564 क्यू		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री संजय सोडानी, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री पी.के.मित्रा, वरिष्ठ विभागीयी प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	12.11.2021
उद्घघोषणा तिथि :	06.12.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी)(ii) के अधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अधीन आदेश दिनांक 09.02.2021 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । निर्धारिती ट्रस्ट “फर्म” की प्रास्थिति में

स्था.ले.सं. 'एबीईएफएस 7525 एच' पर आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के अधीन पंजीकृत है । यद्यपि विभाग ने निर्धारिती को "ट्रस्ट" की प्रास्थिति में नई स्था.ले.सं. 'एएटीटीएस 6564 क्यू' जारी की है । अतः निर्धारिती ने नई स्था.ले.सं. पर अधिनियम की धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु फार्म सं. 10 ए दाखिल किया । यद्यपि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा इस आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत किया कि ट्रस्ट के पास 12 एए पंजीकरण पहले ही उपलब्ध है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने निर्धारिती ट्रस्ट को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया था। अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारी के आदेश पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारी के आदेश का अवलोकन किया है। हमने पाया कि वर्तमान अपील में विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा अधिनियम की धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत किया कि ट्रस्ट के पास 12 एए पंजीकरण पहले ही उपलब्ध है जो कि अन्यायसंगत है क्योंकि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा है कि विभाग ने निर्धारिती को "ट्रस्ट" की प्रास्थिति में नई स्था.ले.सं. 'एएटीटीएस 6564 क्यू' जारी की है । अतः निर्धारिती ने उचित रूप से नई स्था.ले.सं. पर अधिनियम की धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु फार्म सं. 10 ए दाखिल किया था । यद्यपि विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने इस आवेदन पर गुणागुण पर विचार नहीं करके भूल की है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं तथा यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात निर्धारिती द्वारा नई स्था.ले.सं. पर

अधिनियम की धारा 12 एए के अधीन पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन पर विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. जहाँ तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) से संबंधित आ.अ.सं. 47/इंदौर/2021 का संबंध है, हमारा मत है कि यह मुद्दा पारिणामिक प्रकृति का है । अतः हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 12 एए से संबंधित उपर्युक्त निर्णय की दृष्टि में विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) का अधिनियम की धारा 80जी(5)(vi) के अधीन आदेश भी विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 06.12.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 06.12.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल